

FORM - III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जोगेन्द्र सिंह बनाम जंगीर कौर आदि
 अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए आरटीए नम्बर 61 सन् 2023
 जी.सी.एम.एस. नम्बर

मिल कम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-----------	-----------------------------------	---

04.2023 वादी जोगेन्द्र सिंह पुत्र वरयाम सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता सतवीर कुमार ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.05.2023 को पेश हो।

b

11/5/23

आज यह पत्रावली वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 CPC पेश करने पर पेशी में ली गयी। प्रार्थना पत्र में वादी के द्वारा निवेदन किया गया। उक्त दावा में प्रारूपिक त्रुटि के कारण वादी उक्त वाद को वापस लेकर नया वाद प्रस्तुत करना चाहता है। अतः वादी को उक्त वाद वापस लेकर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति उपान की जावे।

वादी व अधिवक्ता को सूजा गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र पुरस्क्रिप्ट स्तर पर है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 CPC स्वीकार किया जाकर वादी को वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है व नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

b



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर